जैव विविधता संरक्षण की सही राह

भारत डोगरा

हाल ही में हैदराबाद में जैव विविधता समझौते के 11 वें सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में यह मुद्दा छाया रहा कि जैव विविधता ह्रास को रोकने के लिए बजट की व्यवस्था कैसे होगी। सम्मेलन के अंतिम दिन 19 अक्टूबर को आधी रात के बाद यह निर्णय लिया गया कि विकसित देश जैव विविधता की रक्षा के लिए जो सहायता देने को तैयार है, उसमें 2006-10 की तुलना में वर्ष 2015 तक दो गुना वृद्धि की जाएगी।

बढ़ते संकट के दौर में जैव विविधता संरक्षण के लिए बेहतर बजट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कई जानकर लोगों का मानना है कि अभी विकसित देशों ने जितना बजट स्वीकार किया है, वह भी कम है व उन्हें इससे कहीं अधिक देना चाहिए।

यह भी ज़रूरी है कि पैसा सही लोगों तक और सही कार्य के लिए पहुंचे। जैसे, जो किसान जैविक खेती करना चाहते हैं, परंपरागत बीज बचाना चाहते हैं क्या उन तक यह पैसा पहुंचेगा? जो आदिवासी प्राकृतिक वनों को बचाकर अपनी आजीविका के लिए तरह-तरह की लघु वनोपज एकत्र करना चाहते हैं, क्या उन तक यह पैसा पहुंचेगा?

एक अन्य सवाल यह भी है कि जो वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी महत्त्वपूर्ण स्थान मिलेगा? हाल के समय में इस संदर्भ में कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम चर्चा में रहे हैं। ऐसी कई कंपनियों पर जैव विविधता की चोरी के आरोप भी लगे हैं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनकी विनाशकारी खनन परियोजनाओं से प्राकृतिक वन व जैव विविधता संकट में पड़ रहे हैं।

जैव विविधता संरक्षण का कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य है, पर डर है कि कहीं ऐसा न हो कि इसमें ऐसे स्वार्थों की घुसपैठ हो जाए जो स्वयं ही जैव विविधता का विनाश करते रहे हैं। पहले भी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पेटेंट कानूनों का अनुचित उपयोग करते हुए तीसरी दुनिया के देशों के परंपरागत ज्ञान को अपना बताकर उस पर पेटेंट प्राप्त किया है या निर्धन देशों की जैव विविधता के आधार पर ऐसे महंगे बीज विकसित किए और अपना एकाधिकार बढ़ाया व गरीब देशों के किसानों को हानि पहुंचाई। जहां इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बीटी कॉटन जैसी जीएम फसलें फैलाई हैं वहां जैव विविधता का ह्रास हुआ है।

अतः यह बहुत ज़रूरी है कि केवल अधिक पैसे की उपलब्धि के नाम पर अनुचित तत्त्वों को जैव विविधता संरक्षण में प्रवेश न दिया जाए। ज़रूरत इस बात की है कि जैव विविधता के संरक्षण का कार्य दूर-दूर के गांवों में एक जन-अभियान व जन-आंदोलन के रूप में चले। ऐसी नीतियों की मांग की जानी चाहिए जो जैव विविधता की रक्षा के अनुकूल हों। यदि जैविक खेती पर ज़ोर दिया जाए व परंपरागत बीजों की रक्षा हो तो यह नीति खेतों पर जैव विविधता को बढ़ाने व संरक्षण में सहायक होगी। साथ ही इस तरह से छोटे किसानों को सहायता मिलेगी क्योंकि उनके कृषि खर्च कम हो सकेंगे।

समुद्र तटीय क्षेत्रों में व नदियों-झीलों के क्षेत्र में मछलियों व जल जीवों की रक्षा के साथ परंपरागत मछुआरों की आजीविका की भी रक्षा होनी चाहिए। वन क्षेत्रों में व उनके आसपास आदिवासियों व वनवासियों को वनों व वन्य जीवों की रक्षा में रोज़गार के अवसर मिलने चाहिए।

इस तरह आजीविका व जैव विविधता दोनों की रक्षा का कार्य एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। ***(स्रोत फीचर्स)***